सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी / 691-751

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक- 30 मई, 2017

विषय :- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.03.2017 को हुई 68वीं बैठक का कार्यवृत्त।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.03.2017 को हुई 68वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से दिनांक 15.06.2017 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं ।

श्रद्धा
(श्रद्धा माथुर)
सहा. निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23719033

<u>संलग्नक:- यथोपरि</u>

सेवा में-

1. समिति के सभी सदस्य
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ अनुभाग
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठन
4. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
5. ✓ तकनीकी निदेशक एनआईसी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय। मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया अपलोड करवाएं।

<u>प्रति सूचनार्थ</u>:

1. सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. अपर सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ संयुक्त सचिव (पी.पी.)/ आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के निजी सचिव।

सं. ई.11016/1/2017-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.03.2017 को हुई 68वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 67वीं बैठक श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2017 को 03.00 बजे (अपराह्न) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/संगठन/अधीनस्थ कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, उप-निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची मदों के आधार पर, विधिवत् रूप से बैठक की कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले, कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक 29.12.2017 को हुई समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

3. उसके पश्चात्, कार्यसूची की मद सं.-2 के अनुसार पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया गया। पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर अपेक्षित कार्रवाई की गई है।

4. बैठक में सदस्यों की कम उपस्थिति पर पिछली बैठक में भी अध्यक्ष महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी और इस बार भी सदस्यों की कम उपस्थिति को देखते हुए निदेश दिया कि बैठक में अनुपस्थित सदस्यों को पत्र लिखा जाए साथ ही कहा गया कि बैठक में सदस्य ही भाग लें अर्थात अनुभाग अधिकारी या उनसे ऊपर के अधिकारी।

5. कार्यसूची की मद सं.- 3 और 4 के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2016, दिनांक 30.09.2016 तथा दिनांक 31.12.2016 को समाप्त अवधि की तिमाही रिपोर्टों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की अनुभाग-वार और संगठन-वार तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि कुछ अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस पर समिति ने चिंता व्यक्त की और उन्हें अनुस्मारक भेजने का निर्णय लिया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही की स्थिति की तुलना में दिनांक 31.12.2016 को

समाप्त तिमाही में, कुछ अनुभागों के हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण आदि के प्रतिशत में प्रगति हुई है। इस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन जिन अनुभागों एवं संगठनों ने ख एवं ग क्षेत्र में केवल अंग्रेजी में पत्र जारी किए हैं तथा पत्राचार का प्रतिशत भी कम जैसे कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ प्रबंधन, स्थापना-।।।, स्थापन-IV, एनपीसीसी और बेतवा नदी परिषद आदि को गंभीरता से लिया गया।

उल्लेखनीय है कि कई सदस्यों ने हिन्दी में टाइपिंग की समस्या के साथ-साथ ई-ऑफिस में हिन्दी के प्रयोग की समस्या का उल्लेख किया। ।

6. कार्यसूची की मद संख्या 5 के तहत राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित किए गए विषयों के बारे में गहन रूप से चर्चा हुई। धारा 3(3) और नियम 5 का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ साथ हिन्दी टिप्पण, हिन्दी पत्राचार, हिन्दी प्रशिक्षण, वेबसाईट पूरी तरह द्विभाषी बनाने, कोड/मैनुअल पूरी तरह से द्विभाषी बनाने, सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी (यूनिकोड) में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी प्राप्त करने पर जोर दिया गया।

कुछ अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से हिन्दी अनुभाग को नहीं भेजी जाती हैं, ऐसे में मंत्रालय की समेकित प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजने में विलंब हो जाता है। इस संबंध में संबंधित अनुभागों को पत्र भेजने का भी निर्णय लिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि मूल रूप से हर काम हिन्दी में ही हो। ऐसे में हमे जितना संभव हो अनुवाद कार्य से बचना चाहिए।

7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदों के तहत मंत्रालय के सभी संगठनों से आए राजभाषा अधिकारियों के साथ हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं इस संबंध में आ रही समस्यायों पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने हेतु आगे बढ़ने का सुझाव दिया गया।

अंत में, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

****

<u>अनुबंध</u>

जल संसाधन मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.12.2017 को आयोजित 68वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति, आर्थिक सला. एवं रा.भा. प्रभारी, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मं- अध्यक्ष
2. श्री संतोष प्रसाद, अनुभाग अधिकारी (स्थापना-।।।), ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
3. श्री अनिल कुमार लखानी, वरिष्ठ अनुवादक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला।
4. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वरि. मूल्यांकन अधिकारी, ल.सि. (सांख्यिकी) विंग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं.म.।
5. श्री निम्मी भट्ट, प्रमुख (रा.भा.), वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव।
6. श्रीमती मिथलेश गर्ग, अनुभाग अधिकारी, बाढ़ प्रबंधन स्कंध, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
7. सुश्री अर्चना गुप्ता, सहायक निदेशक (रा.भा.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली।
8. सुश्री रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय जल आयोग।
9. श्री संजीव शर्मा, उप प्रबंधक, एनपीसीसी, गुरुग्राम।
10. श्री नित्यानन्द रे (अ.सचिव), एनएमसीजी, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
11. श्री जसबीर सिंह(अ.अ), स्थापना-IV अनुभाग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
12. श्री श्याम कुमार(अ.अ), समन्वय अनुभाग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
13. सुश्री सुरिन्द्र कौर (उप सचिव), स्थापना-। एवं सतर्कता अनुभाग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
14. श्रीमती वीना सत्यवादी, सहायक निदेशक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
15. श्रीमती श्रद्धा माथुर, सकायक निदेशक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
16. रनबीर सिंह, सलाहकार, कमान क्षेत्र विकास अनुभाग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
17. सुरेन्द्र कुमार, एएसओ, प्रशा. अनुभाग, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
18. श्री धर्मवीर सिंह रावत, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कमान क्षेत्र विकास अनुभाग।
19. श्री परमजीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
20. सुश्री हिमांशी, कनिष्ठ अनुवादक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
21. श्री हरीश कुमार, आशुलिपिक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
22. श्री अफराज खान, आशुलिपिक, ज.सं., नं.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
23. श्री एम.सी. भारद्वाज, उपनिदेशक (राजभाषा), ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय - **सदस्य सचिव**

****